



प्रेस विज्ञप्ति

10.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने किशोर मीना के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 03.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। अब इस मामले में माननीय न्यायालय ने दिनांक: 05.12.2025 को संज्ञान लिया है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें किशोर मीना, तत्कालीन सहायक ग्रेड-1, मण्डल कार्यालय (डीओ), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भोपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत लगभग 4.05 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था।

जांच के दौरान यह पता चला कि किशोर मीना ने अवैध धन में से 95 लाख रुपये एक बिल्डर को 24% वार्षिक ब्याज पर उधार दिए थे। बाद में बिल्डर ने 95 लाख रुपये में से 27.50 लाख रुपये सीबीआई के पास जमा करा दिए। आगे यह भी पता चला कि बिल्डर ने एचडीएफसी बैंक में किशोर मीना के खाते में 67.50 लाख रुपये जमा किए थे। निदेशालय ने तुरंत 07.02.2024 को बैंक खाते पर रोक लगा दी।

माननीय विशेष न्यायालय, सीबीआई ने 23.10.2024 को फैसला सुनाया कि किशोर मीना ने लोक सेवक रहते हुए अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी, अतः ज़बती आदेश जारी किया गया है और आदेश दिया गया है कि 3,29,49,140/- रुपये (सीबीआई द्वारा किशोर मीना के निजी कब्जे से जब्त की गई राशि जिसमें बिल्डर द्वारा जमा की गई 27.50 लाख रुपये की राशि भी शामिल है) और बिल्डर द्वारा एचडीएफसी बैंक में किशोर मीना के खाते में जमा किए गए 67.50 लाख रुपये भी जब्त किए गए हैं।